



STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA

NIRVACHAN SADAN, PLOT NO. 2, SECTOR- 17

PANCHKULA, HARYANA – 134109

Website: www.secharyana.gov.in

Phone : +91172 258 4810

Email id: sec@hry.nic.in

Fax : +91 172 258 5904

MUNICIPAL ELECTIONS

MOST URGENT FOR IMMEDIATE COMPLIANCE

No. SEC/1ME/2020/ 3803-24

Dated: 10.12.2020

To

All the Deputy Commissioners
in the State of Haryana.

Subject: Notification No. S.O. 55/H.A. 16/1994/S.32/2020 dated 24th November, 2020 -Amendment in rule 14 and Form 1-C and insertion of Rule 14 A of the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and to inform you that the State Government vide Notification No. S.O. 55/H.A. 16/1994/S.32/2020 dated 24th November, 2020 has amended rule 14 & Form 1-C and inserted rule 14 A in the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994:-

- I) Amendment in rule 14 and insertion of rule 14 A are concerned with Inclusion, deletion & correction of names in the ward wise electoral roll finally published and Inclusion of names in the electoral roll finally published during


election, whereas amended Form 1C is concerned with nomination.

- II) Form 1C is required to be attached with the nomination paper (Form 1) and Form 1D by the contesting candidate at the time of filing nomination.

A copy of the notification is enclosed herewith with the request to familiarize yourself and all other concerned with the amendments and insertion made in the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, for strict compliance.

2. The Deputy Commissioner, Ambala, Panchkula and Sonapat (where process to conduct the Corporation elections is going on) are requested to immediately provide the copy of newly amended Form 1C to the Returning Officers/Assistant Returning Officers with the directions to supply the same to all the contesting candidates alongwith nomination form (form 1) and Form 1D and get required information on it and also to comply with the amended rule 14 and 14 A of the Haryana Municipal Corporation Rules, 1994 strictly. The copy of newly amended Form 1C may also be downloaded from Commission's website i.e. www.secharyana.gov.in for use in Corporation elections.

Yours faithfully



(Parmal Singh)
Assistant State Election Commissioner,
Haryana

Endst. No. SEC/1ME/2020/ 3825-29

Dated: 10.12.2020

A copy of above alongwith enclosure is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh.
2. Director, Urban Local Bodies Department, Panchkula w.r.t. his Memo No. 2AE/2020/57216 dated 09.12.2020.
3. Commissioner, Municipal Corporation, Ambala, Panchkula and Sonapat


(Parmal Singh)

Assistant State Election Commissioner,
Haryana

Endst. No. SEC/1ME/2020/ 3830

Dated: 10.12.2020

A copy of above is also forwarded to I.T.Cell of this Commission with the directions to host the notification in the official website of this Commission and also to make necessary corrections in the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 accordingly.


(Parmal Singh)

Assistant State Election Commissioner,
Haryana

- CC: 1. Store-Keeper (two copies for record & n.a.)
2. Librarian (two copies for record)



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 47-2020]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2020
(3 अग्रहायण, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 55/ह०अ० 16/1994/धारा 32/2020, दिनांक 24 नवम्बर, 2020— हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020.	273—292
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 56/ह०अ० 24/1973/धारा 257 तथा 276/2020, दिनांक 24 नवम्बर, 2020— हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	293—313
भाग IV	शुद्धि—पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 नवम्बर, 2020

संख्या का०आ० 55/ह०अ० 16/1994/धारा 32/2020.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में, विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“नगर निगम के वार्डों में विधानसभा के मतदाताओं को विभाजित करके मतदाता सूची तैयार करना”।—

3. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“14. अन्तिम रूप में प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में नाम शामिल करना, हटाना और सुधार करना”।— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के संबंधित भाग में विद्यमान है और नगर निगम की वार्ड वार अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सका, वह प्ररूप क में उपायुक्त को नाम शामिल करने, किसी प्रविष्टि में सुधार करने या किसी अन्य वार्ड में नाम का स्थानान्तरण करने हेतु आवेदन कर सकता है और शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने या नाम हटाने की मांग प्ररूप ख में की जाएगी।

14क. निर्वाचन अवधि के दौरान अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम शामिल करना .— कोई भी व्यक्ति जिसका नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के संबंधित भाग में विद्यमान है तथा नियम 4 और 14 के अधीन नगर निगम की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं करवा सका और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, तो केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन नामांकन करने की अंतिम तिथि तक रिटर्निंग अधिकारी को किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने से लेकर नामांकन करने की अन्तिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। ऐसे आवेदनों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यदि इस नियम के अधीन सम्बद्ध नगर निगम के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में किसी आवेदक का नाम शामिल किया गया है और वह चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, तो उसे अपना नामांकन दायर करने की अनुमति दी जाएगी :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन उस नगर निगम के चुनाव के लिए नामांकन करने की अन्तिम तिथि के बाद, मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में कोई संशोधन, अन्यत्र रखना या विलोपन नहीं किया जाएगा और किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिए जाएंगे।”।

4. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1—ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 1 ग”
(देखिए नियम 24क)

कृपया यहां अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

नगर निगम,के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम,की वार्ड संख्या..... से सदस्य के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र सहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

भाग क

मैं....."पुत्र/पुत्री/पत्नीआयु.....वर्ष, जो.....
.....(पूरा डाक पता दर्शाये) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैं(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लागू न हो काट दें)

2. मेरा नाम, (नगर निगम का नाम), में भाग संख्याकी क्रम संख्यापर प्रविष्ट है।

3. मेरा सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्याएंहै/हैं और मेरा ई-मेल आई.डी. (यदि कोई हो)..... है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं :-

(i)

(ii)

(iii)

4. स्थाई खाता संख्या (पैन) का ब्यौरे और आय कर विवरणी दायर करने की स्थिति:-

क्रम संख्या	नाम	स्थायी खाता संख्या	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आय कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

5. लम्बित अपराधिक मामले :-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लम्बित नहीं है तो, इस विकल्प पर निशान लगाएं और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)।

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित अपराधिक मामले लम्बित हैं:-

(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक मामले लम्बित हैं, तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में सभी लम्बित मामलों का ब्यौरा दें।

सारणी

(क)	सम्बद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या			
(ख)	न्यायालय के नाम सहित मामला संख्या			
(ग)	अन्तर्वर्तित सम्बद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)			
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण			
(ङ)	क्या आरोप विरचित किये गये हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(च)	यदि उपरोक्त मद (ङ.) के सामने उत्तर हां है, तो वह तिथि दें, जिसको आरोप विरचित किये गये थे।			
(छ)	क्या कार्रवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर किया गया है। (हां या नहीं का उल्लेख करें)			

6. दोषसिद्धी के मामले:-

- (i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है, लिखें)

या

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है:-

(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है, तो इस विकल्प पर निशान लगाएं और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्या			
(ख)	न्यायालय का नाम			
(ग)	अन्तर्वर्तित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की संख्या दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)			
(घ)	धाराओं का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।			
(ङ.)	दोषसिद्धी के आदेशों की तिथियां			
(च)	अधिरोपित दंड			
(छ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)			
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान स्थिति दें)			

7. मैंने, ऊपर पैरा (5) तथा (6) में दिये गये अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लम्बित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धी के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

(अभ्यर्थियों, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(i) और पैरा 6(i) की प्रविष्टियों के दृष्टिगत, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए)

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न खानों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे लिखित रूप से दिये जायें।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामले पहले वर्णित किए जायें और अन्य मामलों के लिए तिथियों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किए जाएं।
4. अतिरिक्त शीट जोड़ी जा सकती है, यदि अपेक्षित हो।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में सभी सूचनाएं देने हेतु उत्तरदायी हैं।

8. मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल इत्यादि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

अ. **चल आस्तियों के ब्यौरे:**

- टिप्पण: 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाएगा।
- टिप्पण: 2- जमा/निवेश की दशा में, क्रम संख्या, रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण: 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य दिया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4— “आश्रित” से अभिप्राय है, उम्मीदवार के माता-पिता, पुत्र/पुत्रों, पुत्री/पुत्रियों अथवा पति/पत्नी तथा उम्मीदवार से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति चाहे रक्त सम्बन्धी या विवाह द्वारा, जिसकी किसी अन्य स्रोतों से कोई आमदनी नहीं है तथा अपने जीवन यापन हेतु पूर्ण रूप से उम्मीदवार पर निर्भर है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवर्ती जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी शामिल हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनिटों में निवेश के ब्यौरे और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पॉलिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास इत्यादि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याच/पोत (मेक रजिस्ट्रकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे दें)					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	सकल कुल मूल्य					

आ. अचल आस्तियों के ब्यौरे:

टिप्पण:1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का विवरण भी निर्दिष्ट किया जाना है।

टिप्पण:2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस फार्मेट में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्यां (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश, अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):- अवस्थिति (अवस्थितियां)- सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं) क्षेत्र					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय संपत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण इत्यादि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे सम्पत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

9. मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ—
(टिप्पण: कृप्या बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की किस्म					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोधय नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देय: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को देय	(अ) क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं ? (आ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात्:— (i) सरकारी आवास का पता: (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित में से कोई भी देय भुगतानयोग्य नहीं है:— (क) भाटक ; (ख) विद्युत प्रभार ; (ग) जल प्रभार ; और (घ)(तिथि) को टेलीफोन प्रभार (तिथि उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, से तीन मास पूर्व की अंतिम तिथि या उसके पश्चात् की कोई तिथि होनी चाहिए) टिप्पण —उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत सम्बद्ध अभिकरणों से "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	हां/नहीं (कृप्या उपयुक्त विकल्प पर निशान लगाए)			
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (जिसमें अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी शामिल है)					
		स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आय कर देय					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(v)	माल और सेवा कर देय					
(vi)	नगरपालिका/सम्पत्ति कर देय					
(vii)	कोई अन्य देय					
(viii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त है, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम और प्राधिकारी जिसके समक्ष वह लंबित है, का उल्लेख करें।					

10. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे –

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

11. आय के स्रोतों के ब्यौरे –

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(ग) आश्रितों की आय के स्रोत, यदि कोई हो

12. समुचित सरकार और किसी सार्वजनिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं –

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुंब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे

(ङ) भागेदारी फर्म द्वारा की गई संविदाएं जिसमें अभ्यर्थी या पति या पत्नी या आश्रित भागीदार के ब्यौरे

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं, के ब्यौरे..... ।

13. मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:—

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

14. भाग-क के (1) से (13) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण:-

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु.				
2.	डाक का पूरा पता					
3.	वार्ड संख्या तथा नगर निगम का नाम					
4.	राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)					
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है					
7.की स्थायी लेखा संख्या	वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी दायर की गई है।	कुल दर्शाई गई आय			
	(क) अभ्यर्थी					
	(ख) पति या पत्नी					
	(ग) आश्रित					
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
अ	चल आस्तियां (कुल मूल्य)					
आ	अचल आस्तियां					
	(i) स्वार्जित अचल सम्पत्ति की क्रय कीमत					
	(ii) क्रय के पश्चात् अचल संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)					
	(iii) अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत : (क) स्वार्जित सम्पत्ति (कुल मूल्य) (ख) विरासती सम्पत्तियां (कुल कीमत)					
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी देय (कुल)					
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी देय					
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता- (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)					

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूँ कि:

- (क) मेरे विरुद्ध उपरोक्त भाग-क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है।
- (ख) मेरे, मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग-क की मद 8 और 9 तथा भाग-ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित से भिन्न कोई भी आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज20.....के.....दिन कोको सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

-
- टिप्पण: 1** शपथपत्र नामांकनों की संवीक्षा की तिथि वाले दिन दस बजे से पहले तक दायर किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 2** शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण: 3** सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में प्रस्तुत करने हेतु कोई जानकारी नहीं है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", या "ज्ञात नहीं है," जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण: 4** शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।"।

एस. एन. राय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 24th November, 2020

No. S.O. 55/H.A. 16/1994/S.32/2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in rule 4, for the existing marginal heading the following marginal heading shall be substituted, namely:-

“Preparation of electoral rolls by distributing the electors of Legislative Assembly into the wards of Municipal Corporation.-”.

3. In the said rules, for rule 14, the following rules shall be substituted, namely:-

“14. Inclusion, deletion and correction of names in the ward wise electoral roll finally published. - Any person whose name existed in the relevant part of the electoral roll of the Legislative Assembly Constituency and could not be included in the ward wise electoral roll of the Municipal Corporation finally published, may apply to the Deputy Commissioner for inclusion of name, correction of any entry or transposing of name in another ward in Form ‘A’ and for objecting inclusion or seeking deletion of name shall be made in Form ‘B’.

14A. Inclusion of names in the electoral roll finally published during election period.- Any person whose name existed in the relevant part of the electoral roll of the Legislative Assembly Constituency and could not get his name included in the electoral roll of the Municipal Corporation under rule 4 and 14 and election programme has been issued by the State Election Commission, application only for the inclusion of name in the electoral roll shall be made to Returning Officer, till the last date of making nomination. Returning Officer shall be the competent authority for inclusion of name in the electoral roll from the issuance of election programme till the last date of making nomination. The decision taken by the Returning Officer on such applications shall be final.

Provided that if the name of any applicant has been included in the electoral roll of any ward of the concerned Municipal Corporation under this rule and intends to contest the election, shall be allowed to file his nomination.

Provided further that no amendment, transposition or deletion of any entry in the electoral roll shall be made and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of any ward shall be given under this rule, after the last date for making nominations for an election in that Municipal Corporation.”.

4. In the said rules, for Form 1-C, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM 1-C”
(see rule 24A)

Please affix your recent passport size photograph here

Affidavit to be filed by the candidate along with nomination paper before the Returning Officer for the election to Mayor from Municipal Corporation..... or election to member from Ward No. of Municipal Corporation.....

PART-A

I.....*son/daughter/wife of
 age.....years, resident of.....
 (mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

- (1) I am a candidate set up by(**name of the political party)**am contesting as an Independent candidate.
 (**strike out whichever is not applicable)
- (2) My name is enrolled in.....(Name of the Municipal Corporation), at Serial No.in Part No.....
- (3) My contact telephone number(s) is/areand my e-mail id (if any) is and my social media account(s) (if any) is/are.-
 (i).....
 (ii).....
 (iii).....
- (4) Details of Permanent Account- Number (PAN) and status of filing of Income Tax return:

Serial Number	Names	PAN	The financial year for which the last Income Tax return has been filed	Total income shown in Income-Tax return (in Rs.)
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5	Dependent-3			

- (5) **Pending criminal cases :**
- (i) I declare that there is no pending criminal case against me.
 (Tick this alternative if there is no criminal case pending against the candidate and write **NOT APPLICABLE** against alternative (ii) below)

OR

- (ii) The following criminal cases are pending against me:
 (if there are pending criminal cases against the candidate, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details of all pending cases in the table below)

TABLE

(a)	FIR NO. with name and address of Police Station concerned			
(b)	Case No. with Name of the Court			
(c)	Section (s) of concerned Acts/codes involved (give no. of the Sectionof IPC, etc.).			

(d)	Brief description of offence			
(e)	Whether charges have been framed (mention YES or NO)			
(f)	If answer against (e) above is YES then give the date on which charges were framed			
(g)	Whether any appeal/ application for revision has been filed against the proceedings (Mention YES or NO)			

(6) **Cases of conviction :**

- (i) I declare that I have not been convicted for any criminal offence.

(Tick this alternative, if the candidate has not been convicted And write **NOT APPLICABLE** against alternative (ii) below)**OR**

- (ii) I have been convicted for the offences mentioned below :

(If the candidate has been convicted, then tick this alternative and score off alternative (i) above, and give details in the Table below)

TABLE

(a)	Case No.			
(b)	Name of the Court			
(c)	Sections of Acts/ Codes involved (give no. of the Section, e.g. Section.....of IPC, etc.).			
(d)	Brief description of offence for which convicted			
(e)	Dates of orders of conviction			
(f)	Punishment imposed			
(g)	Whether any appeal has been filed against conviction order (Mention YES or NO)			
(h)	If answer to (g) above is YES , give details and present status of appeal			

- (7) I have given full and up-to-date information to my political party about all pending criminal cases against me and about all cases of conviction as given in paragraphs (5) and (6)

[Candidates to whom this Item is not applicable should clearly write **NOT APPLICABLE** in view of entries in 5 (i) and 6 (i) above]

Note :

1. Details should be entered clearly and legibly in BOLD letters
 2. Details to be given separately for each case under different columns against each item.
 3. Details should be given in reverse chronological order, i.e., the latest case to be mentioned first and backwards in the order of dates for the other cases.
 4. Additional sheet may be added if required.
 5. Candidate is responsible for supplying all information in compliance of Hon'ble Supreme Court's Judgment in W.P.(C) No. 536 of 2011.
- (8) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents :

A. Details of movable assets:

Note: 1- Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note: 2- In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given.

Note: 3- Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.

Note: 4- 'Dependent' means parents, son(s), daughter(s) of the candidate or spouse and any other person related to the candidate whether by blood or marriage, who have no separate means of income and who are dependent on the candidate for their livelihood.

Note: 5- Details including amount is to be given separately in respect of each investment.

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with financial Institutions, Non- Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit.					
(iii)	Details of investment in bonds, debentures/ shares and units in companies/ mutual funds and others and the amount.					
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount.					

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(v)	Personal loans/ advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount.					
(vi)	Motor Vehicles/ Aircrafts/ Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount).					
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give 1 details of weight and value).					
(viii)	Any other assets such as value of claims/Interest.					
(ix)	Gross Total Value					

B. Details of Immovable Assets:

Note: 1- Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated.

Note: 2- Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format.

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Agricultural Land Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in acres)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(ii)	Non-Agricultural Land: Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(iii)	Commercial buildings (including apartments) -Location(s) -Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq.ft.)					
	Built-up Area (total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the property by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(iv)	Residential Buildings (including apartments) : -Location(s)-Survey number(s)					
	Area (total measurement in sq. ft.)					

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
	Built up area (Total measurement in sq.ft.)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self-acquired property					
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(v)	Others (such as interest in property)					
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above					

(9) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government :-

(**Note:** please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Loan or dues to Bank/financial institution(s)Name of the Bank or financial institution, Amount outstanding, Nature of Loan					
	Loan or dues to any Other individuals/entity other than mentioned above Name(s), Amount outstanding, Nature of loan					
	Any other liability					
	Grand total of liabilities					

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(ii)	Government dues: Dues to departments dealing with government accommodation	<p>(A) Has the Deponent been in occupation of accommodation provided by the Government at any time during the last ten years before the date of notification of the current election?</p> <p>(B) If answer to (A) above is YES, the following declaration may be furnished namely :</p> <p>(i) The address of the Government accommodation :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(ii) There is no dues payable in respect of above Government accommodation, towards-</p> <p>(a) Rent:</p> <p>(b) Electricity charges:</p> <p>(c) Water charges; and</p> <p>(d) Telephone charges as on(date)</p> <p>[the date should be the last date of the third month prior to the month in which the election is notified or any date thereafter].</p> <p>Note- 'No Dues Certificate' from the agencies concerned in respect of rent, electricity charges, water charges and telephone charges for the above Government accommodation should be submitted.</p>				YES/NO (Please tick the appropriate alternative)
(iii)	Dues to department dealing with government transport (including aircrafts and helicopters)					
		Self	Spouse	Dependent-1	Dependent-2	Dependent-3
(iv)	Income tax dues					
(v)	GST Dues					
(vi)	Municipal/Property tax dues					
(vii)	Any other dues					
(viii)	Grand total of all Government dues					
(ix)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.					

- (10) Details of profession or occupation :
- (a) Self
- (b) Spouse
- (11) Details of Sources of Income :
- (a) Self.....
- (b) Spouse.....
- (c) Source of income, if any, of dependents
- (12) Contracts with appropriate Government and any public company or companies
- (a) Details of contracts entered by the candidate.....
- (b) Details of contracts entered into by spouse.....
- (c) Details of contracts entered into by dependents.....
- (d) Details of contracts entered into by Hindu Undivided Family or Trust in which the candidate or spouse or dependents have interest.....
- (e) Details of contracts, entered into by partnership firms in which candidate or spouse or dependents are partners
- (f) Details of contracts entered into by private companies in which candidate or spouse or dependents have share.....
- (13) My educational qualification is as under :-
-
- (Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed)

PART-B

- (14) Abstract of the detail given in (1) to (13) of part A :

1.	Name of the candidate	Sh./ Smt./Kum.		
2.	Full postal address			
3.	W. No. and Name of the Municipal Corporation			
4.	Name of the political party which set up the candidate (otherwise write Independent)			
5.	Total number of pending criminal cases			
6.	Total Number of cases in which convicted			
7.		PAN of	Year for which last income Tax return filed	Total income shown
	(a) Candidate			
	(b) Spouse			
	(c) Dependents			

8.		Details of Assets and Liabilities in Rupees :					
		Description	Self	Spouse	Dependent -1	Dependent-2	Dependent-3
	A.	Moveable Assets (Total value)					
	B.	Immovable Asset					
	(i)	Purchase Price of self-acquired immovable property					
	(ii)	Development/ construction cost of immovable property after purchase (if applicable)					
	(iii)	Approximate Current market price of- (a) self-acquired assets (Total Value) (b) inherited assets (Total Value)					
9.		Liabilities					
	(i)	Government dues (Total)					
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
10.		Liabilities that are under dispute					
	(i)	Government dues (Total)					
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)					
11.		Highest educational qualification : (Give details of highest School/ University education mentioning the full form of the Certificate/ diploma/degree course, name of the School/College/ University and the year in which the course was completed.)					

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that :-

- (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above ;
- (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 8 and 9 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at..... this theday of.....,

DEPONENT

-
- Note: 1. Affidavit should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations.
 - Note: 2. Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.
 - Note: 3. All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable" or "Not Known", as the case may be, should be mentioned,
 - Note: 4. The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly.”.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.